न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 24 / 2016

1 अलामुदीन पुत्र ईस्माइल खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नम्बर 28 मोहल्ला बटवालान झुंझुनू जरिये मुख्यतार खास मुस्लिम पुत्र सलीमुदीन जाति कायमखानी निवासी मोहल्ला बटवालान झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 ईकबाल हुसैन पुत्र अलादीन।
2 गुलाम हुसैन पुत्र अलादीन।
3 रमज्यान पुत्र अलादीन समस्त जाति कायमखानी निवासीगण मौहल्ला बटवालान वार्ड नम्बर 18 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
4 श्रीमती नूरबानों स्त्री शब्बीर अली।
5 आफरीन पुत्री शब्बीर अली।
6 शाहिद पुत्र शब्बीर अली स्त्री महमूद अली समस्त जाति कायमखानी निवासीगण मौहल्ला बटवालान वार्ड नम्बर 18 झुंझुनू नाबालिग जरिये वलियाकुदरती श्रीमती नूरबानों स्त्री सब्बीर अली जाति कायमखानी निवासी वार्ड नम्बर 18 मौहल्ला बटवालान झुंझुनू।
7 श्रीमती कादर बानों पत्नी असगर अली।
8 मोहम्मद मुजीब पुत्र असगर अली।
9 सज्जाद पुत्र पुत्र असगर अली।
10 ईमरान पुत्र असगर अली।
11 सद्दाम पुत्र असगर अली।
12 श्रीमती जीवणी स्त्री सलीमुदीन।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

13 अयूब पुत्र सलीमुदीन।
14 असलम पुत्र सलीमुदीन।
15 मुस्लिम पुत्र सलीमुदीन।
16 शौकत पुत्र अजीम खां।
17 सरवर पुत्र अजीम खां।
18 महमूद पुत्र अजीम खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण मौहल्ला बटवालान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
19 नगर परिषद झुंझुनू जरिये आयुक्त नगर परिषद झुंझुनू।
20 राजस्थान राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट
अन्तर्गत धारा 96 व अं. आ. 41 जा.दी. विरूद्व
निर्णय दिनांक 12.12.2015 बमुकदमा उनवानी
अलीमुदीन बनाम ईकबाल हुसैन वगैरह दावा बाबत
इस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड, बंटवारा व स्थाई
निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 202/2014 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू।

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मोहम्मद फारूक खान, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 27.5.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
अपील अधिकारी

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 202/2014 में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड, स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा का वाद प्रस्तुत कर कस्बा झुन्झुनू की भूमि खसरा नम्बर 3192 के संदर्भ में अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आदेश 07 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध उक्त अनुसार वर्णित आदेशिकाओं से यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि विचारण न्यायालय की पीठासीन अधिकारी सुनिता चौधरी ने दावा की पत्रावली को नियत तिथि से पहले ही बिना किसी युक्तियुक्त कारण के तारीख पेशी में लेकर बिना वादी/अपीलांट को नोटिस दिये व बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 की ओर से शिघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र दिया जाना बतलाते हुये व प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. अवैधानिक रूप से रिकार्ड पर लेकर बिना पत्रावली का अवलोकन किये उसे विधि विरूद्ध स्वीकार करते हुये वादी/अपीलांट का दावा खारिज करने में भयंकर कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 द्वारा शीघ्र सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाना प्रकट किया है तथा आदेशिका दिनांक 12.12.2015 से भी प्रतिवादी नम्बर 1, 2 द्वारा शिघ्र सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली को पेशी में लिए जाना प्रकट किया गया है परन्तु पत्रावली के अवलोकन से अदालत मातहत द्वारा कथित उक्त शिघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पत्रावली के रिकार्ड पर मौजुद ही नहीं है। तारीख पेशी दिनांक 10.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

09.2015 से मोहर लगाकर आगे तारीख पेशी 19.12.2015 व दिनांक 19.12.2015 को आगे तारीख पेशी 25.01.2016 दिया जाना पत्रावली की आदेशिका से स्पष्ट है। प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से प्रस्तुत की गई तथाकथित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर प्रस्तुत किये जाने की दिनांक खाली है। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षरों के नीचे दिनांक 23.11.2015 अंकित है तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा शामिल मिसल किये जाने का आदेश देते हुये लोक अदालत में दिनांक 12.12.2015 को प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया जाना प्रकट होता है। दावा की पत्रावली मूल रूप से प्रतिवादी नम्बर 13,14,17 के लिए आदेश तामील तथा प्रतिवादी नम्बर 19 की तलबी में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया को ताक में रखकर वादी का दावा खारिज करने का विधि विरूद्ध निर्णय दिया है अतः धारा 5 एवं अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2019 पेज 269, आरआरडी 2019 पेज 735, डीएनजे 2009(2) (राज.) पेज 676, आरआरटी 2015(2) पेज 761, डब्ल्यूएलसी 2000(1)(राज.) पेज 741, आरआरडी 2000 पेज 189, आरआरडी 1989 पेज 106, आरआरडी 2000 पेज 45, आरएलडब्ल्यू 2006(2)(राज.) पेज 1127, आरआरडी 1997 पेज 316 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि खेत खसरा नम्बर 825/1640/2 की भूमि रकबा 3 बीघा 2 बिश्वा जिसके नये खसरा नम्बर 3192 रकबा 0.7800 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 इकबाल खां के पिता की खातेदारी में दिनांक 01.03.1960 से चली आ रही है उक्त भूमि पर वे जरिये विक्रय पत्र दिनांक 28.01.1960 से काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी अलीमुदीन पुत्र ईस्माईल खान का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा व न ही कभी वह या उसका पिता या उसका कोई भी पूर्वज रिकॉर्डेड खातेदार रहा। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई बिनाये मुखासमत कभी पैदा नहीं हुई। वादी का वाद वादकरण के अभाव में चलने योग्य नहीं है खारिज होने योग्य है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त 12 वर्षों से भी अधिक समय से (28.01.1960 से) चला आ रहा है जिसकी जानकारी वादी को व उसके पूर्वजों को दिनांक 28.01.1960 से ही है जिसके बाबत उन्होंने कभी कोई वाद नहीं किया। इस प्रकार वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण भी चलने योग्य नही है तथा मियाद बाहर है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विधि के बिन्दु पर वादीगण का वाद खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपीलांट ने अपील मेमो एवं बहस में आदेश 7 नियम 11 के तहत उठाई गयी विधिक आपत्तियों पर कोई कथन नहीं किया है। आदेश 41 नियम 23 एवं 26 ए सीपीसी के अनुसार अपीलीय न्यायालय को उनके समक्ष उपलब्ध रिकार्ड साक्ष्य एवं पक्षकारान द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्कों को मध्य नजर रखते हुए उनके समक्ष विचाराधीन अपीलों का विधि सम्मत निस्तारण अपने स्तर पर करना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का वाद वादकरण के अभाव में खारिज योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2009 पेज 607, आरएलडब्ल्यू 1999 (3) एससी पेज 391, डीएनजे 2016 एससी पेज 644, आरआरटी 2016(1) एचसी पेज 235, आरआरटी 2019 (2) एससी पेज 780 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खेत खसरा नम्बर 825/1640/2 की भूमि रकबा 3 बीघा 2 बिश्वा जिसके नये खसरा नम्बर 3192 रकबा 0.7800 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 इकबाल खां के पिता की खातेदारी में दिनांक 01.03.1960 से चली आ रही है उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्टे जरिये विक्रय पत्र दिनांक 28.01.1960 से काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी अलीमुदीन पुत्र ईस्माईल खान का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा व न ही कभी वह या उसका पिता या उसका कोई भी पूर्वज रिकॉर्डेड खातेदार रहा। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई बिनाये मुखासमत कभी पैदा नहीं हुई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

वादी का वाद वादकरण के अभाव में चलने योग्य नहीं होने से विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से खारिज किया है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त 12 वर्षों से भी अधिक समय से (28.01.1960 से) चला आ रहा है जिसकी जानकारी वादी को व उसके पूर्वजों को दिनांक 28.01.1960 से ही है जिसके बाबत उन्होंने कभी कोई वाद नहीं किया। इस प्रकार वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण भी चलने योग्य नही है तथा मियाद बाहर है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विधि के बिन्दु पर वादीगण का वाद खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपीलांट ने अपील मेमो एवं बहस में आदेश 7 नियम 11 के तहत उठाई गयी विधिक आपत्तियों पर कोई कथन नहीं किया है। आदेश 41 नियम 23 एवं 26 ए सीपीसी के अनुसार अपीलीय न्यायालय को उनके समक्ष उपलब्ध रिकार्ड साक्ष्य एवं पक्षकारान द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्कों को मध्य नजर रखते हुए उनके समक्ष विचाराधीन अपीलों का विधि सम्मत निस्तारण अपने स्तर पर करना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का वाद वादकरण के अभाव में खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की वकालतन उपस्थिति रही है। विचाराधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है किन्तु विलम्ब का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर